

कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड (म0प्र0)

// आ दे श //

कमांक:- ०१ / II-12-6/10

भिण्ड, दिनांक:- ०५ / ०१ / 2026

सन् 2026 में अधिवार्षिकीय आयु पूर्ण करने वाले कर्मचारियों की सूची

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के नियम 49 और मध्यप्रदेश मूलभूत नियम के नियम 56 के उपनियम (1) एवं नियम 56 के (1-ख) के उपनियम (2) के बल से इस स्थापना पर वर्ष 2026 में अधिवार्षिकीय आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ कमांक-2 में नामित कर्मचारियों को स्तम्भ कमांक-6 में अंकित दिनांक के अपरान्ह से सेवानिवृत्त किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क.	कर्मचारी का नाम	जन्मतिथि	सेवा में प्रथम नियुक्ति दिनांक	अधिवार्षिकीय आयु पूर्ण करने का दिनांक	सेवानिवृत्ति दिनांक
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती जैबा देवी, भृत्य	01-07-1964	27-01-2010	01-07-2026	30-06-2026
2	श्री रामबहादुर सिंह सिकरवार, जमादार	06-12-1964	19-03-1991	06-12-2026	31-12-2026

**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भिण्ड (म0प्र0)**

पृष्ठांकन कमांक- 55 (141046) भिण्ड, दिनांक- ०७ / ०१ / 2026
प्रतिलिपि आदेशानुसार:-

- (1) कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय भिण्ड (म.प्र.)।
- (2) जिला पेंशन अधिकारी, जिला पेंशन कार्यालय भिण्ड (म.प्र.)।
- (3) प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग भिण्ड/लहार की ओर संबंधित कर्मचारी को संसूचित कराये जाने हेतु प्रेषित।
- (4) जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग भिण्ड की ओर जिला न्यायालय भिण्ड की बेवसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।
- (5) लेखापाल/सहायक लेखापाल प्रथम, द्वितीय/वेतन लिपिक की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) श्रीमती जैबा देवी, भृत्य, नजारत अनुभाग लहार की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (7) श्री रामबहादुर सिंह सिकरवार, जमादार, न्यायालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश भिण्ड की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

**वास्ते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भिण्ड (म0प्र0)**

